2007:CGHC:10353
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक दांडिक अपील क्रमांक अ. 1038 सन् 2003

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

आपराधिक अपील संख्या 1038, सन् 2003

अपीलकर्ता
(हिरासत में)

1. **श्रवण कुमार**, पिता श्री तराचंद,
उम्र लगभग 21 वर्ष,
निवासी क्वार्टर नंबर 308/ए, ज़ोन-3,
बी.एम.वाई., चरौदा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

2. **विनोद महोबिया**, पिता श्री भूरेलाल महोबिया,
उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी चरौदा बस्ती, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रतिवादी :

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा:– जी.आर.पी. चरौदा,
जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

श्री आर. के. जैन, अधिवक्ता, अपीलकर्ता क्रमांक 1 की ओर से।
श्री एम. के. भादुड़ी, अधिवक्ता, अपीलकर्ता क्रमांक 2 की ओर से।
श्री सुधीर बाजपेयी, उप महाधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से।

मौखिक निर्णय

(30 मई, 2007)

श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति,

यह अपील, दिनांक 19 सितम्बर 2003 को सत्र प्रकरण क्रमांक 149/2003 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145(ख) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है, और प्रत्येक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा ₹500/– (पाँच सौ रुपये) के जुर्माने से दंडित किया गया है; तथा एक माह के सश्रम कारावास से भी दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, प्रत्येक को अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री, जो कि निर्विवाद रूप से एक विवाहित महिला है, उम्र लगभग 21 वर्ष, अपने गांव कलारतराई, पुलिस थाना कोटा, जिला बिलासपुर से पावर हाउस स्टेशन, अपने चाचा प्रमोद कुमार गौरहा से मिलने के उद्देश्य से गई थी, जो तत्समय बी.एम.वाई. चरौदा में आर.पी.एफ. में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। वह लगभग सायं 6:00 बजे पावर हाउस स्टेशन पहुँची और चरौदा पहुँचने के संबंध में पुछताछ की, तत्पश्चात वह एक मिनीडोर वाहन से चरौदा के लिए रवाना हुई। चरौदा पहुँचने के बाद, उसने अपने चाचा के क्वार्टर के विषय में पूछताछ की और पैदल ही अपने चाचा के क्वार्टर की ओर प्रस्थान किया। इसी दौरान, अपीलकर्ता श्रवण अपने ऑटो से आया और उसे अपने ऑटो में बैठाकर एक मकान के पास ले गया। वहाँ उसने एक व्यक्ति डी.पी. सिंह से यह कहकर उसका परिचय कराया कि वह गौरहा का मित्र है। किंतु उक्त डी.पी. सिंह ने अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकतें(लज्जा भंग) करने का प्रयास किया, जिस पर अभियोक्त्री द्वारा विरोध करने पर उसने उसे छोड़ दिया और श्रवण से वार्तालाप करने लगा। तत्पश्चात श्रवण ने पुनः अभियोक्त्री को अपने ऑटो में बिठाया और कुछ देर इधर–उधर घुमाने के बाद अपने मकान के पास ऑटो खड़ा किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और अभियोक्त्री से ऑटो में ही सो जाने को कहा। रात्रि लगभग 12:00 बजे वहाँ दो युवक आए, जिन्होंने श्रवण को कुछ दूर ले जाकर उससे बात की। उनमें से एक युवक का नाम विनोद था, जो बाद में अभियोक्त्री के पास आया और उसके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगा। अभियोक्त्री द्वारा आपत्ति जताने पर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके पश्चात दोनों अपीलार्थीगण ने अभियोक्त्री को पास के एक मकान में जबरन घसीटकर ले गए, उसके वस्त्र उतार दिए और बलात्कार (अश्लील कृत्य) किया। लगभग एक घंटे बाद दोनों अपीलार्थीगण ने पुनः बलात्कार किया। प्रातः दोनों ने अभियोक्त्री को प्रमोद गौरहा के मकान पर ले गए और उसके छोटे भाई विनोद को बुलाया। अभियोक्त्री को गौरहा के घर पर छोड़कर दोनों अपीलार्थीगण ऑटो से वहाँ से चले गए। अभियोक्त्री ने विनोद गौरहा को पूरी घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराने का आग्रह किया, जिस पर विनोद ने कहा कि वह अकेला है और आरोपीगण बदमाश किस्म के लोग हैं, अतः वह गांव लौट जाए और जैसे ही उसका भाई खड़गपुर से वापस आएगा, तब उसे बुलाकर रिपोर्ट दर्ज करवायंगे। इसके पश्चात विनोद गौरहा ने अभियोक्त्री को अपनी मोटरसाइकिल से रायपुर स्टेशन छोड़ा। कोटा पहुँचने के बाद अभियोक्त्री ने यह घटना अपने पति तथा देवर को बताई। प्रमोद गौरहा के लौटने पर अभियोक्त्री को बुलाया गया और तत्पश्चात वह प्रमोद गौरहा एवं विनोद गौरहा के साथ मिलकर थाना जी.आर.पी. चरौदा में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँची। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान अपीलार्थीगण तथा अभियुक्त डी.के. सिंह (बाद में दोषमुक्त किये गए) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय दुर्ग भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, रायपुर की न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायपुर को विचारण हेतु सौंप दिया, और

तत्पश्चात उक्त प्रकरण विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु स्थानांतरित कर दिया गया।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपियों/अपीलार्थीगण श्रवण एवं विनोद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ)एवं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145(ख) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जबकि सह–आरोपी डी.के. सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा रेल अधिनियम की धारा 145(ख) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को सिद्ध करने के उद्देश्य से कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। इसके उपरांत, अभियुक्तगण के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों से इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष और झूठा फसाये जाने का अभिवाक किया। बचाव पक्ष द्वारा गौरीबाई (बचाव साक्षी क्रमांक 1) को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सम्बंधित पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के उपरांत, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण, श्रवण एवं विनोद को उपर्युक्त वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किया। हालांकि, सह–आरोपी डी.के. सिंह को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण श्री आर.के. जैन एवं श्री एम.के. भादुड़ी ने जोरदार रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि कथित घटना दिनांक 22/23 फरवरी की मध्यरात्रि में घटित हुई थी, किंतु अभियोक्त्री द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट दिनांक 3 मार्च को, अर्थात् 7 दिवस के विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि उक्त रिपोर्ट प्रमोद गौरहा एवं विनोद गौरहा से परामर्श कर पश्चविचार स्वरूप दर्ज कराई गई है। अधिवक्तागण ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री ने न्यायालय में अपने कथन के दौरान कई तात्विक सुधर किया है, जिससे उसकी

गवाही अविश्वसनीय एवं संदेहास्पद प्रतीत होती है। यद्यपि आरोप यह है कि अभियोक्त्री के साथ दो व्यक्तियों द्वारा दो बार बलात्कार किया गया, तथापि उसके चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई। इस प्रकार की परिस्थितियों में, जबकि रिपोर्ट घटना के सात दिन बाद दर्ज कराई गई और अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई, यहाँ अभियुक्तगण का यह कहना कि यौन संबंध उसकी सहमति से बनाए गए थे — संभाव्य (probable) प्रतीत होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त श्रवण कुमार एवं विनोद महोबिया की आयु घटना के समय क्रमशः लगभग 21 एवं 26 वर्ष थी, तथा दोनों ही युवक हैं, जिन्हें 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अतः, प्रकरण के तथ्य एव परिस्थितियों तथा अभियुक्तों की आयु को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय को उन्हें कुछ कम कारावास की सजा प्रदान करनी चाहिए थी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य बनाम डेरहा (2004) 9 एस.सी.सी. 699, तथा, **राज कुमार उर्फ राजू यादव उर्फ राजकुमार यादव बनाम बिहार राज्य (2006) 9 एस.सी.सी. 589** के मामले में प्रकशित निर्णय पर अवलंबन लिया गया है।

वहीं दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध समस्त सामग्री जिसमे विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय शामिल है का अवलोकन किया है।

यह तथ्य है कि अपराध की तिथि 22 एवं 23 फरवरी की मध्यरात्रि की है और अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दिनांक 3 मार्च को दर्ज कराई गई है, अर्थात् घटना के सात

दिन पश्चात्। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई इस देरी के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वह अपने चाचा से मिलने के लिए चरौदा गई थी, किंतु चाचा के क्वार्टर तक पहुँचने से पूर्व ही, मध्यरात्रि में, अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। तत्पश्चात जब वह अपने चाचा के क्वार्टर पहुँची, तो उसे यह पता चला कि वे खड़गपुर गए हुए हैं। उसने घटना की जानकारी अपने चाचा के छोटे भाई विनोद गौरहा को दी। विनोद गौरहा द्वारा यह सलाह दी गई कि वह तत्काल कोटा लौट जाए और जैसे ही उनका भाई प्रमोद कुमार गौरहा खड़गपुर से वापस आ जायंगे, तब रिपोर्ट दर्ज करवायंगे, क्योंकि आरोपीगण बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराना सुरक्षित नहीं होगा। उक्त सलाह के अनुसार अभियोक्त्री बिलासपुर लौट गई और जब उसके चाचा प्रमोद गौरहा वापस लौटे, तब उसे बुलवाया गया और तत्पश्चात रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इन परिस्थितियों में, रिपोर्ट दर्ज कराने में जो सात दिनों की देरी हुई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थितियों कि समग्रता को ध्यान में रखते हुए, 22 एवं 23 फरवरी की मध्यरात्रि में अपीलार्थीगण द्वारा अभियोक्त्री के जो आघात सहना पड़ा। तथा रिपोर्ट तात्कालिक रूप से दर्ज न होने से अभियोजन पक्ष का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई विलंब के जो कारण अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वे संतोषजनक प्रतीत होते हैं।

अभियुक्तगण की प्रश्नाधीन अपराध में संलिप्तता सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री को अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 के रूप में परिक्षण किया गया । अपने कथन में अभियोक्त्री ने यह बताया कि जब वह चरौदा में अपने चाचा प्रमोद गौरहा के क्वार्टर की ओर पैदल जा रही थी, उसी दौरान अभियुक्त श्रवण ऑटो लेकर आया और यह कहते हुए कि वह उसे उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ देगा, उसे अपने साथ ले गया। इस प्रक्रिया में पहले उसे अभियुक्त डी.के. सिंह के घर ले गया, जहाँ डी.के. सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकत(लज्ञा भंग) करने का प्रयास किया।

इसके पश्चात वह उसे श्रवण के घर के पास लेकर गया, जहाँ उसकी मुलाकात अपीलार्थी विनोद से हुई। ऑटो एक मकान के सामने खड़ा किया गया और श्रवण ने अभियोक्त्री से कहा कि वह ऑटो में ही सो जाए। उसी दौरान विनोद वहाँ आया और कुछ समय बाद उसने अभियोक्त्री को गंदी–गंदी गालियाँ दीं, उसकी साड़ी खींचने लगा, और फिर श्रवण ने अभियोक्त्री को पास के एक क्वार्टर में घसीटकर ले गया। अभियुक्त विनोद उसके पीछे–पीछे चाकू लेकर आया। फिर श्रवण ने अभियोक्त्री के वस्त्र उतारे और बलात्कार किया, जबकि विनोद वहाँ चाकू लेकर खड़ा रहा। श्रवण द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद, विनोद ने भी उसके साथ बलात्कार किया। यह कृत्य दोनों अपीलार्थीगण द्वारा दो बार किया गया। प्रातः लगभग 5:00 बजे, वे दोनों अभियोक्त्री को प्रमोद कुमार गौरहा के क्वार्टर पर ले गए, परंतु वहाँ प्रमोद गौरहा उपस्थित नहीं थे। अभियोक्त्री को प्रमोद गौरहा का छोटा भाई विनोद गौरहा मिला, जिसे उसने समस्त घटना की जानकारी दी। विनोद गौरहा ने बताया कि प्रमोद गौरहा वहाँ नहीं हैं, और जैसे ही वे वापस आएँगे, वह अभियोक्त्री को सूचना देगा, तब ही वह आकर रिपोर्ट दर्ज कराए। इस परिस्थिति में, अभियोक्त्री कोटा लौट गई और बाद में प्रमोद गौरहा के लौटने पर वापस आई। अभियोक्त्री के साक्ष्य के कंडिका 20 में बचाव पक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कथित यौन कृत्य सुबह 4:00 बजे हुआ था, जिसे अभियोक्त्री ने अस्वीकार किया और स्पष्ट किया कि उसके साथ बलात्कार लगभग 2:30 से 3:00 बजे के बीच हुआ। कंडिका 21 में यह सुझाव भी दिया गया कि उसने विनोद के साथ सहमति से यौन संबंध बनाया, जिसे अभियोक्त्री ने सिरे से नकार दिया। इसी प्रकार, प्रतिपरीक्षण के कंडिका 45 में अभियोक्त्री ने यह सुझाव से भी अस्वीकार किया कि उसने श्रवण के साथ सहमति से संबंध बनाए थे तथा उसने उनके विरुद्ध रिपोर्ट प्रमोद गौरहा के कहने पर दर्ज कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 विनोद गौरहा एवं अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 प्रमोद गौरहा के बयानों द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण होती है। अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 विनोद गौरहा ने अपने कथन में यह कहा कि घटना की सुबह अभियुक्त विनोद एवं श्रवण उसके भाई के क्वार्टर पर आए और उसे जगाकर यह पूछताछ की कि प्रमोद गौरहा कहाँ हैं, यह कहते हुए कि "एक लड़की आई है।" वे उसे रेलवे क्वार्टर के पास ले गए, जहाँ अभियोक्त्री (जो कि रिश्ते में उसकी भतीजी है) बैठी हुई थी। इसके बाद वह अभियोक्त्री को लेकर अपने भाई के क्वार्टर आया। अभियोक्त्री ने रोना शुरू कर दिया और पूछने पर उसने बताया कि विनोद एवं श्रवण ने उसके साथ मारपीट की और उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। इस प्रकार, विनोद गौरहा ने अभियोक्त्री की कथा की पर्याप्त सीमा तक पुष्टि की है। प्रमोद कुमार गौरहा (अ. स.–3) ने अपने कथन में बताया कि वह सात दिनों की छुट्टी पर खड़गपुर गया हुआ था और दिनांक 28 फरवरी 2003 को वापस लौटा। लौटने पर उसके भाई विनोद कुमार गौरहा ने उसे बताया कि दिनांक 22/23 फरवरी 2003 की मध्यरात्रि को अभियोक्त्री आई थी, जिसकी लज्जा भंग अभियुक्त डी.के. सिंह द्वारा की गई थी, और रात्रि में अपीलकर्तागण श्रवण एवं विनोद द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना की जानकारी प्राप्त होने के बाद उसने अभियोक्त्री को गांव से बुलाया और रिपोर्ट दर्ज कराई। अतः उपर्युक्त तीनों साक्षियों के बयानों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि दोनों अपीलार्थीगण ने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित किए थे।

जहाँ तक अपीलार्थीगण के बचाव का प्रश्न है कि सम्भोग अभियोक्त्री की सहमति से स्थापित किया गया था — तो यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ)के अधीन सामूहिक बलात्कार के अभियोजन में, जब अभियुक्तों द्वारा यौन संसर्ग(संबंध) सिद्ध हो जाता है, तब यह माना जाता है कि अभियोक्त्री की सहमति अनुपस्थित थी। इस संबंध में साक्ष्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम की धारा 114 क एक विधिक उपधारणा प्रस्तुत करती है। धारा 114 क पुनः प्रस्तुत किया जाता है :

> ***114 क. बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा. – भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ढ) के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री के सुस्पष्ट साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें उसने यह कहा है कि वह चरोदा में अपने चाचा प्रमोद कुमार गौरहा का क्वार्टर ढूंढ़ रही थी, जो कि उसके लिए एक अपरिचित स्थान था, उसी दौरान अपीलकर्ता श्रवण उससे मिला और यह कहकर कि वह उसे उसके चाचा के क्वार्टर तक पहुँचा देगा, अपने साथ ले गया। किन्तु, उसके चाचा के क्वार्टर तक पहुँचाने के बजाय, अपीलकर्ता श्रवण तथा सह–आरोपी विनोद ने उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया । और आगे उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिनके तहत अभियोक्त्री के साथ दोनों अपीलार्थीगण द्वारा बलात्कार किया गया, वह घटना की रत में उनसे मिलने तक अभियोक्त्री के लिए बिलकुल अपरिचित थे, इस प्रकार की परिस्थितियों में यह बचाव कि यौन संबंध सहमति से स्थापित किए गए थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मेरा सुविचारित मन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत दोषसिद्ध करने में कोई विधिक अवैधता अथवा त्रुटि करीत नहीं की है । तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के अंतर्गत किसी भी तत्व को विचारण के दौरान स्थापित नहीं किया गया है और अपीलार्थीगण को उक्त अधिनियम की धारा 145(ख) के अंतर्गत दोषसिद्ध को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

अब अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के इस तर्क पर विचार किया जाना है कि अपीलार्थीगण श्रवण एवं विनोद महोबिया की आयु, जो कि घटना के समय क्रमशः 21 एवं 26 वर्ष थी, को दृष्टिगत रखते हुए, विचारण न्यायालय को न्यूनतम निर्धारित दंड से कम कारावास की सजा आरोपित करनी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ताओं ने इस संबंध में छत्तीगढ़*राज्य बनाम डेरहा* (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें आरोपी की आयु घटना के समय निर्विवाद रूप से 18 वर्ष थी और जो विचारण न्यायालय द्वारा आरोपित दंड के कारण पहले ही 6½ वर्ष की सजा भोग चुका था, तथा वह एक पारिवारिक व्यक्ति था, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी 10 वर्ष की सजा को घटाकर 7 वर्ष सश्रम कारावास कर दिया था। इसी प्रकार *राज कुमार बनाम बिहार राज्य* (पूर्वोक्त) के मामले में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत आरोपित सजा से निपटते हुए कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में 3 दिन की देरी हुई थी तथा अभियोक्त्री की चिकित्सकीय जाँच करने वाले चिकित्सक को बलात्कार का कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला था, इसीलिए आरोपी कि सजा 7 वर्ष से घटाकर 3½ वर्ष कर दी गयी थी, वर्तमान मामले में भी अपीलार्थीगण की आयु क्रमशः 21 और 26 वर्ष है; रिपोर्ट 7 दिन की देरी से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दर्ज की गई थी, अतः अभिलेख में उपलब्ध समग्र परिस्थितियों एवं आरोपियों की आयु को ध्यान में रखते हुए, उनके विरुद्ध अधिरोपित 10 वर्ष की कारावास की सजा में उचित रूप से कटौती किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण की भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत दोषसिद्धि को यथावत् रखा जाता है। तथापि, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145(बी) के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है तथा इस आरोप से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण पर अधिरोपित 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को एतद् द्वारा घटाकर 7 वर्ष का सश्रम कारावास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अपीलकर्ता को ₹5,000/– (पाँच हज़ार रुपये मात्र) का जुर्माना अदा करना होगा, एवं जुर्माना अदा न करने की दशा में प्रत्येक को अतिरिक्त छः छः माह का अतरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

सही /-

श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायमूर्ति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2007:CGHC:10353
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ... ... Adv. Rahul Krishna Sahu... ...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur